न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या 508/2025
सी.एन.आर नमबर RJAJ010039952025

कालू पुत्र श्री महादेव सिंह, निवासी– हटूण्डी रोड नया बड़गांव माखुपुरा, अजमेर।
–– अपीलार्थी–अभियुक्त

बनाम

1– रामेश्वर पुत्र श्री किशनलाल, निवासी– बालुपुरा रोड, आदर्श नगर, अजमेर।
–– प्रत्यर्थी–परिवादी

2– राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, जिला–अजमेर।
– प्रत्यर्थी

फौजदारी अपील अन्तर्गत धारा 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 09.10.2025, जो श्रीमती प्रतीभा सिंह राठौड़, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, अजमेर द्वारा फौजदारी प्रकरण (सी.आई.एस.) संख्या 3096/2018 रामेश्वर बनाम कालू में पारित किया गया।

उपस्थित

1– श्री मानसिंह रावत, सुश्री अनिता रावत व सुश्री रूबिना खान, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से।
2– श्री गगन वर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या 1 की ओर से।
3– श्री जे.पी.शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक, प्रत्यर्थी राज. राज्य की ओर से।

निर्णय **दिनांक–20.07.2026**

1. यह फौजदारी अपील अपीलार्थी–अभियुक्त कालू सिंह द्वारा विद्वान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 1, अजमेर द्वारा फौजदारी प्रकरण (सी.आई.एस.) संख्या 3096/2018 रामेश्वर बनाम कालू अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 (जिसे आगे, अधिनियम,1881'' कहकर सम्बोधित किया जावेगा) में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 09.10.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी–अभियुक्त को अधिनियम,1881 की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया जाकर छह माह के साधारण कारावास व राशि 2,50,000/– (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) प्रतिकर, अदम अदायगी प्रतिकर राशि पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास, से दण्डित किया है।

Authenticated Document

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–1 द्वारा उक्त परिवाद दिनांक 20.02.2018 को न्यायालय विद्वान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 1, अजमेर में प्रस्तुत हुआ, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभियुक्त व परिवादी की जान–पहचान होकर अच्छे संबंध है। अभियुक्त को अपनी घरेलू निजी आवश्यकता होने पर उसने परिवादी से 1,70,000/– रुपये नकद उधार लिये। परिवादी द्वारा अभियुक्त से उक्त उधार ली गई राशि की मांग व तकाजा करने पर उसने परिवादी को दो पोस्ट डेटेड चैक संख्या 204620 राशि 70,000/– रुपये, दिनांकित 01.11.2017 तथा चैक संख्या 141382 राशि 1,00,000/– रुपये, दिनांकित 01.11.2017 को आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा शंकर पैलस, जयपुर रोड़, सिटी पावर हाऊस के सामने, अजमेर के हस्ताक्षर कर दिये। अभियुक्त ने परिवादी को यह आश्वासन दिया कि उक्त दोनों चैक बैंक में समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त हो जाएगा। उक्त चैकों का भुगतान प्राप्त करने हेतु परिवादी ने बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा पुरानी मण्डी, अजमेर में अपने खाता संख्या 10230100015574 में पेश किये, जो अपर्याप्त निधि "Funds Insufficient" के पृष्ठांकन के साथ दिनांक 10.01.2018 को अनादरित कर परिवादी को लौटा दिए। चैकों का अनादरण होने के पश्चात परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को विधिक नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.01.2018 को भेजा, जो प्राप्त हो गया, के बावजूद भी नोटिस का जवाब नहीं देकर चैकों में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को आज दिनांक तक नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्त का कृत्य एन.आई.एक्ट की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उसे दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

3. उपरोक्त परिवाद–पत्र प्रस्तुत होने पर परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, दिनांक 19.05.2018 को अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जो अभियुक्त ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, तब साक्ष्य परिवादी में पी.डब्ल्यू 1 रामेश्वर के बयान लिये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में

क्र.सं.	प्रदर्श	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श–1 व 2	असल चैक
2	प्रदर्श–3 व 4	चैक अनादरण मीमो
3	प्रदर्श–5	पोस्टल रसीद
4	प्रदर्श–6	प्राप्ति रसीद
5	प्रदर्श–7	विधिक नोटिस

को प्रदर्शित कराया गया। अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो उसने परिवादी साक्ष्य को गलत होना बताया है। साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, लेकिन

Authenticated Document

साक्ष्य सफाई पेश नहीं की। तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व दण्डादेश दिनांक 09.10.2025 पारित कर अपीलार्थी–अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए, उपरोक्तानुसार दण्डित किया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत फौजदारी अपील प्रस्तुत की गई है।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से यह बहस की गई है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे कि अपीलार्थी–अभियुक्त यह साबित कर सकें कि उसने प्रत्यर्थी–परिवादी से कोई राशि प्राप्त नहीं की। उनका यह भी तर्क है कि विवादित चैक परिवादी के पास कैसे पहुंचा, इसका खण्डन तो अपीलार्थी–अभियुक्त बचाव साक्ष्य से ही कर सकता था, जिसका अवसर न देकर विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व दण्डादेश पारित कर गम्भीर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की है, इसलिए प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त ने अपने बयान मुलजिम में प्रत्यर्थी–परिवादी से कोई राशि नहीं लेने बाबत कथन करते हुए झूठे आधारों पर परिवाद पेश किया है, के कथनों के बावजूद भी विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी–परिवादी की मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी–अभियुक्त को दोषसिद्ध कर त्रुटि कारित की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी–परिवादी को अपना भार प्रबल साक्ष्य से साबित करना होता है कि उसके पक्ष में धारा 139 एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत उपधारणा केवल चैक के जारी होने के संबंध में है, न कि किसी दायित्व के होने के संबंध में। उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी–परिवादी द्वारा अभियुक्त को इतनी बड़ी धनराशि उधार दी हो, यह अभिलेख से साबित नहीं होता है, ना ही यह साबित होता है कि चैक विधि द्वारा प्रर्वतनीय ऋण अथवा दायित्व हेतु दिया गया हो। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये उक्त निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों को नजर–अंदाज करते हुए प्रत्यर्थी–परिवादी के पक्ष में गलत विवेचना करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु कतई प्रमाणित नहीं था कि उक्त चैक विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए दिया गया हो इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश विधिनुकूल नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही विवेचन, विश्लेषण नहीं किया है तथा अविधिक तौर पर अपीलार्थी–अभियुक्त को दण्डित किया है। अतः उपरोक्त तर्कों के अनुसार अपीलार्थी–अभियुक्त का किसी भी प्रकार का कोई विधिक दायित्व प्रत्यर्थी–परिवादी में शेष नहीं होने के बावजूद भी विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित कर गम्भीर

Authenticated Document

तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की है। इस प्रकार उन्होंने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

5. विद्वान विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–परिवादी की ओर से यह बहस की गई है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधिपूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय व दण्डादेश पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। विद्वान अधिवक्ता परिवादी–प्रत्यर्थी ने यह तर्क भी पेश किया है कि धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत प्रस्तुत परिवाद में परिवादी को रूपये कहां से आये अथवा उधार दी गई राशि बाबत परिवादी की हैसियत थी अथवा नहीं को साबित करना आवश्यक नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि परिवादी–प्रत्यर्थी ने चैक का दुरूपयोग किया हो, इस बाबत किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा परिवादी–प्रत्यर्थी के विरूद्ध की गई हो, ऐसी कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील व विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. **प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–1 की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 रामेश्वर को परीक्षित कराया, जिसने मुख्य परीक्षण के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया कि** अभियुक्त व परिवादी की जान–पहचान होकर अच्छे संबंध है। अभियुक्त को अपनी घरेलू निजी आवश्यकता होने पर उसने परिवादी से 1,70,000/– रुपये नकद उधार लिये। परिवादी द्वारा अभियुक्त से उक्त उधार ली गई राशि की मांग व तकाजा करने पर उसने परिवादी को दो पोस्ट डेटेड चैक संख्या 204620 राशि 70,000/– रुपये, दिनांकित 01.11.2017 तथा चैक संख्या 141382 राशि 1,00,000/– रुपये, दिनांकित 01.11.2017 को आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा शंकर पैलस, जयपुर रोड़, सिटी पावर हाऊस के सामने, अजमेर के हस्ताक्षर कर दिये। अभियुक्त ने परिवादी को यह आश्वासन दिया कि उक्त दोनों चैक बैंक में समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त हो जाएगा। उक्त चैकों का भुगतान प्राप्त करने हेतु परिवादी ने बैंक ऑफ बड़ौदा,शाखा पुरानी मण्डी, अजमेर में अपने खाता संख्या 10230100015574 में पेश किये, जो अपर्याप्त निधि "Funds Insufficient" के पृष्ठांकन के साथ दिनांक 10.01.2018 को अनादरित कर परिवादी को लौटा दिए। चैकों का अनादरण होने के पश्चात परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को विधिक नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.01.2018 को भेजा, जो प्राप्त हो गया, के बावजूद भी नोटिस का जवाब नहीं देकर चैकों में वर्णित राशि का भुगतान

Authenticated Document

परिवादी को आज दिनांक तक नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्त का कृत्य एन.आई.एक्ट की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उसे दण्डित किये जाने का निवेदन किया। परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–7 दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गया। **विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से उक्त साक्षी से किसी भी प्रकार की जिरह नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी का मुख्य परीक्षण अखंडित रहा है।**

8. प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–1 की ओर से पेश की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी–अभियुक्त ने प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–1 को जो चैक प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए प्रदान किये थे, उन पर अपीलार्थी–अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हो, इस प्रकार का कोई एतराज अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय एवं अपील के दौरान नहीं किया गया है, केवल मात्र बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि चैक प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या 1 को प्रदान नहीं किये गये थे, वरन चैकों का दुरुपयोग करते हुए यह प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या 1 के विरुद्ध चैकों के दुरुपयोग किए जाने बाबत किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, के कथन नहीं किए हैं, ना ही इस बाबत किसी भी प्रकार की दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य बावजूद पर्याप्त अवसर बचाव साक्ष्य का प्रदान किये जाने के बाद भी पेश नहीं की गई है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से दिया गया यह तर्क कि बयान मुलजिम में किया गया यह कथन कि प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–1 ने अपीलार्थी–अभियुक्त को कोई राशि नहीं दी, के कथन किये है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बयान मुलजिम के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा अपने बयान मुलजिम में इस प्रकार के कोई कथन नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से दिया गया यह तर्क भी सारहीन हो जाता है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या 1 ने राशि कहां से प्राप्त कर अपीलार्थी–अभियुक्त को प्रदान की गई अथवा उसकी इतनी राशि अदा किए जाने बाबत हैसियत थी, यह साक्ष्य पेश नहीं की गई है, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि आरोपित अपराध में राशि कहां से प्राप्त की गई अथवा राशि अदा करने की हैसियत थी अथवा नहीं, इस तर्क पर विचार किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है, विशेषकर अपीलार्थी–अभियुक्त ने चैकों पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार नहीं किया गया हो।

Authenticated Document

10. अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा परिवादी से ऐसा कोई प्रतिपरीक्षण बावजूद पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी नहीं किया गया है कि परिवादी उसका चैकों को चुरा कर अथवा डरा–धमका कर ले गया हो तथा अभियुक्त का चैक कहीं खो गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी–अभियुक्त ने विवादग्रस्त चैकों पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से दौराने बहस एक तर्क यह भी पेश किया गया है कि लेन–देन के बाबत गम्भीर विरोधाभास है स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस बाबत पत्रावली पर ऐसा कोई विरोधाभास दृष्टिगोचर नहीं होता है, जिससे कि सम्पूर्ण प्रकरण की विश्वसनीयता ही संदिग्ध हो जाती हो। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों की गलत व अनुचित व्याख्या करते हुए आलौच्य निर्णय व दंडादेश पारित किया है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अधिनियम के किन प्रावधानों की विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत व अनुचित व्याख्या की है, इस बाबत किसी भी प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से दिया गया यह तर्क कि चैकों का दुरूपयोग किया गया हो, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि चैकों के दुरूपयोग किये जाने बाबत किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी–अभियुक्त के चैकों पर हस्ताक्षर नहीं हो, इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है, जिससे चैकों का दुरूपयोग किया जाना किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है।

11. इस सम्बन्ध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 व 139 का उल्लेख करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है–

> **118. Presumptions as to negotiable instruments.—**
>
> Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:–
>
> (a)of consideration —that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, endorsed, negotiated or transferred, was accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration;
>
> (b)as to date —that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;
>
> (c)as to time of acceptance —that every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;
>
> (d)as to time of transfer —that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;
>
> (e)as to order of endorsements —that the endorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;

Authenticated Document

(f)as to stamps ——that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;

(g)that holder is a holder in due course ——that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course:

Provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or accept or thereof by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of proving that the holder is a holder in due course lies upon him.

139. Presumption in favour of holder.——

It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability.

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय **2024 Supreme(SC) 521 K. Ramesh Versus K. Kothandaraman Respondent.** में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Dishonour of cheque –When once negotiable instrument has been marked in evidence, presumption regarding its validity would arise and it is for accused to displace the presumption Even if a blank cheque leaf is voluntarily signed and handed over by accused towards some payment would attract presumption under Section 139 of N.I. Act.

साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य न्याय निर्णय **2021 Supreme(SC) 767 Sunil Todi & Ors. Versus State of Gujarat & Anr.** में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

(1) Dishonour of cheque A post–dated cheque issued after debt has been incurred would be covered by definition of 'debt' .

12. न्यायिक दृष्टांत **" Sripati Singh Vs State of Jharkhand (2021 SCC Online SC 1002)" में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

"When a cheque is issued and is treated as 'security' towards repayment of an amount with a time period being stipulated for repayment, all that it ensures is that such cheque which is issued as 'security' cannot be presented prior to the loan or the instalment maturing for repayment towards which such cheque is issued as security. Further, the borrower would have the option of repaying the loan amount or such financial liability in any other form and in that manner if the amount of loan due and payable has been discharged within the agreed period, the cheque issued as security cannot thereafter be presented. Therefore, the prior

Authenticated Document

discharge of the loan or there being an altered situation due to which there would be understanding between the parties is a sine qua non to not present the cheque which was issued as security. These are only the defences that would be available to the drawer of the cheque in a proceedings initiated under Section 138 of the N.I. Act. Therefore, there cannot be a hard and fast rule that a cheque which is issued as security can never be presented by the drawee of the cheque. If such is the understanding a cheque would also be reduced to an 'on demand promissory note' and in all circumstances, it would only be a civil litigation to recover the amount, which is not the intention of the statute. When a cheque is issued even though as 'security' the consequence flowing therefrom is also known to the drawer of the cheque and in the circumstance stated above if the cheque is presented and dishonoured, the holder of the cheque/drawee would have the option of initiating the civil proceedings for recovery or the criminal proceedings for punishment in the fact situation, but in any event, it is not for the drawer of the cheque to dictate terms with regard to the nature of litigation."

इस प्रकार न्यायालय के विनम्र मत में जहां चैक का निष्पादन साबित हो जाता है, वहां धारा 118 ए व 139 एन.आई.एक्ट धारक के पक्ष में उपधारणा का प्रावधान देती है। धारा 118(ए) के अनुसार जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि हर एक परक्राम्य लिखत, प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहित हो चुकी हो तब या प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहित, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी। धारा 139 एन.आई.एक्ट धारक के पक्ष में उपधारणा करती है, जिसके अनुसार जब तक कि अन्यथा साबित ना कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। " जो मेरे विनम्र मत में पूर्णतः उचित है। न्यायालय के उक्त मत की पुष्टि न्यायिक दृष्टांत **Criminal Appeal No. 1755 of 2010 Sanjabij Tari Vs Kishore S. Borcar & Anr.** Decided on 25.09.2025 से भी होती है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायलय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि–

Accused had not disputed his signature on the cheque. Complainant stated that he had advanced to accused amount of cheque in two different installments on two different occasions cannot be believed has no merit.Accused himself admitted his signature on the cheque and accused had failed to rebut the presumption in favour of the complainant as available under Negotiable Instruments Act, 1881.

Authenticated Document

13. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि उक्त विवादित चैक प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–1 को क्रमशः राशि 70,000/– व राशि 1,00,000/– रूपये की अदायगी के दायित्व के पेटे दिये गये, जो बैंक से अनादरित हुए, अपीलार्थी–अभियुक्त ने विधिक नोटिस प्रेषित किये जाने के बावजूद भी प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–1 को चैकों में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से अपीलार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत आरोपित आरोप संदेह से परे साबित हो जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में समस्त साक्ष्य एवं तथ्यों का सही विवेचन करते हुए सही तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के पश्चात उनमें प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के अनुकूल ही अपीलार्थी–अभियुक्त को अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दोष–सिद्ध किया है, जो पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

14. परिणामस्वरूप कालू पुत्र श्री महादेव सिंह, निवासी– हटूण्डी रोड नया बड़गांव माखुपुरा, अजमेर की ओर से प्रस्तुत यह अपील विरूद्ध रामेश्वर व अन्य अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकरण (सी.आई.एस.) संख्या 3096/2018 रामेश्वर बनाम कालू में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 09.10.2025 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी–अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित है। अतः अपीलार्थी–अभियुक्त की सजा का पुष्टि वारण्ट बनाया जावे। पुष्टि वारंट मय मूल सजा वारंट, सजा भुगताये जाने हेतु अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

15. निर्णय आज दिनांक 20.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

DINESH MUNDRA Digitally signed by DINESH MUNDRA Date: 2026.07.20 16:28:14 +0530

Authenticated Document